# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 10/2023**

राजीव कुमार जैन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला परिषद, अलवर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 02.01.2023

**आदेश की दिनांक** : 04.04.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को माह मई, 2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है और अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले के संबंध में विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन दिनांक 21.11.2022 एवं 16.12.2022 का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता, नरेगा जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है और उसे दिनांक 27.04.2022 को निलंबित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपील संख्या 1855/2022 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 10.10.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया

गया और यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 14.10.2022 को कार्यग्रहण किया और तब से अपीलार्थी निरंतर अपनी सेवायें दे रहा है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो नियम एवं विधि के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर माह मई, 2022 से वेतन दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता के पद पर जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.10.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया और जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था और इस प्रकार अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया, परंतु जहां तक अपीलार्थी को मई, 2022 से वेतन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुये उसे नियमानुसार वेतन भुगतान किया जावे और अभ्यावेदन निस्तारण किये जाने की सूचना अपीलार्थी को भी दी जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**